उपस्थिति :-

(1). श्री रणवीर प्रसाद
आई0ए0एस0
आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली। ..... अध्यक्ष।

(2). श्री नितीश कुमार
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी, बरेली। ..... सदस्य।

(3). श्री वी0के0सोनकिया
उप परिवहन आयुक्त
(परिक्षेत्र), बरेली। ..... सदस्य।

(4). डॉ0अनिल कुमार गुप्ता
सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बरेली। ..... सचिव।

****

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 13.12.2019 का कार्यवृत्त।

संकल्प संख्या – 01 – सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.10.2019 की अनुपालन आख्या।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण अवलोकित किया गया।

4. अवलोकित।

6. अवलोकित।

7. अवलोकित।

8. अवलोकित।

9 (1). अवलोकित।

संकल्प संख्या – 02

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-68(5) के अन्तर्गत उ0प्र0मोटरयान नियमावली 1998 के नियम – 57 के अन्तर्गत सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक 21.09.2019 से 30.11.2019 तक जारी परमिटों का अवलोकन।

अवलोकित।

संकल्प संख्या - 3

मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-81 के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सवारी गाड़ी के स्थाई परमिटों के नवीनीकरण के अवलोकन पर विचार।

अवलोकित।

संकल्प संख्या - 4

(क). मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा - 82(1) के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सबारी गाड़ी के स्थायी परमिटों के हस्तांतरण का अवलोकन।

अवलोकित।

(ख). मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा - 82(2) व (3) के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सबारी गाड़ी के स्थायी परमिट के हस्तांतरण का अवलोकन।

अवलोकित।

संकल्प संख्या - 5

यात्री/माल वाहनों के अनुज्ञापत्रों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर विचार।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बरेली की बैठक दिनांक 26.02.2019 में प्राधिकरण द्वारा गहन विचारोपरान्त पाया गया कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-192(क) एवं धारा-86(1) की कार्यवाही स्वतन्त्र कार्यवाहियॉं हैं अतः धारा-192(क) के तहत कार्यवाही स्वतन्त्र रूप से करते हुए पूर्ण करायी जाये। इनमें ऐसे प्रकरण भी हो सकते हैं जिनके वाहन स्वामियों द्वारा-192(क) के तहत शमन शुल्क जमा किया गया हो परन्तु उनके द्वारा की गयी अनियमितता के परिणाम स्वरूप परमिट निरस्त किया जाना आवश्यक हो।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में तालिका - 'क' के अन्तर्गत केवल उन वाहनों के चालानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनको माननीय न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशमित कराकर देय प्रशमन शुल्क जमा करा लिया गया है तथा तालिका - 'ख' के अन्तर्गत उन वाहनों के चालानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाहन स्वामी द्वारा वाद को माननीय न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रशमित नहीं कराया गया है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा तालिका - 'क' के क्रम संख्या 01 से 08 तक उपस्थित वाहन स्वामियों को सुना गया जिसमें क्रम संख्या - 06 पर प्रस्तुत वाहन संख्या यूपी-22टी/3422 के वाहन स्वामी श्री शेर बहादुर द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बताया गया कि उनके द्वारा उक्त चालान का प्रशमन शुल्क रूपया 66000=00 जमा किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा वाहन द्वारा अत्यधिक ओवरलोड संचालित पाये जाने पर अनुज्ञापत्र को 01 माह के लिए निलम्बित किया गया। क्रम संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 7 एवं 8 पर प्रस्तुत प्रकरणों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त वाहन स्वामियों को भविष्य में ओवरलोडिगं न किये जाने की चेतावनी देते हुए निर्णय लिया गया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा देय प्रशमन शुल्क जमा किया जा चुका है उनके परमिटों को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86(1) की कार्यवाही से मुक्त किया जाये।

तालिका - 'ख' के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों पर प्राधिकरण द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त उपस्थित सभी वाहन स्वामियों पर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये :-

तालिका – 'ख'

क्रम सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या/ वैधता	परमिट का वर्ग	चालानी प्राधिकारी/ चालान की तिथि	अभियोग	प्राधिकरण का निर्णय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	यूपी-26टी/3047	2017/625 31.03.2022	जनभार वाहन	थानाध्यक्ष थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंहनगर 05.9.2019	1. वाहन को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए व बिना वैध कागजात के वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए व वाहन में 200 कुन्तल अतिरिक्त मिट्टी भरकर ले जाते हुए पाया गया।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
2.	आरजे-14जीडी/2353	2017/2574 31.10.2022	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) शाहजहॉपुर। 05.07.2019	1. वाहन में 18 टन ओवर लोड था। 2. कर जमा का प्रमाण नहीं था। 3. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। 4. वैध डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 5. वाहन में रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा था।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
3.	यूपी-26टी/1542	2019/101 18.01.2024	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) शाहजहॉपुर। 05.07.2019	1. वाहन में 28 टन ओवर लोड था। 2. कर जमा का प्रमाण नहीं था। 3. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। 4. वैध डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया। 5. वाहन में रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा था।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
4.	यूपी-26टी/1742	2019/587 27.06.2024	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) शाहजहॉपुर।	1. वाहन में 28 टन ओवर लोड था। 2. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। 3. वैध डी0एल0प्रस्तुत नहीं किया। 4. वाहन में रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा था।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
5.	यूपी-26टी/1336	2018/820 26.07.2023	जनभार वाहन	स0सं0प0अ0(प्रव0) शाहजहॉपुर। 05.07.2019	1. वाहन में 27 टन माल ओवरलोड है। 2. प्रदूषण प्रमाण नहीं दिखाया। 3. रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा है।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया

6.	यूपी-25डीटी/1670	2019/24 03.01.2024	जनभार वाहन	थानाध्यक्ष थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंहनगर 05.07.2019	1. वाहन द्वारा ओवरलोड 274 कुन्तल रेता परिवहन करना, विधि के निर्देशों की अवज्ञा करना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया।	-
7.	यूपी-25बीटी/9858	2016/1627 17.10.2021	जनभार वाहन	थानाध्यक्ष थाना पुलभट्टा जनपद ऊधमसिंहनगर 03.06.2019	1. चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन में बॉडी से 03 फिट ऊपर तक लकड़ी लादकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पाया गया।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
8.	यूपी-25बीटी/8686	2018/969 23.09.2023	जनभार वाहन	सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 30.05.2019	1. 38000 कि0ग्रा0 (38 टन) माल ओवरलोड है। 2. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया
9.	यूपी-25सीटी/6625	2018/216 20.03.2023	जनभार वाहन	सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 16.05.2019	1. 24000 कि0ग्रा0 (24 टन) माल ओवरलोड है।	-
10.	यूपी-25सीटी/6293	2018/121 07.03.2023	जनभार वाहन	सं0प0अ0(प्रव0) बरेली। 03.07.2019	1. 19 टन ओवरलोड है। 2. ड्राइविंग लाईसेंस नहीं दिखाया। 3. कर जमा का प्रमाण नहीं है। 4. प्रेशर हार्न का प्रयोग कर रहे हैं।	परमिट 03 माह के लिए निलम्बित किया गया

क्रम संख्या - 06 पर उल्लिखित वाहन संख्या यूपी-25डीटी/1670 के वाहन स्वामी सुमित पोल्ट्री फीड इण्ड्रस्ट्रीज के प्रो0श्री अमित कुमार गुप्ता प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा रू0 33000=00 प्रशमन शुल्क रसीद संख्या 893064 दिनांक 22.06.2019 द्वारा जमा किया जा चुका है तथा यह उनका प्रथम अपराध है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अनुज्ञापत्रधारी से इस आशय की अन्डर टेकिंग लेकर कि वह भविष्य में क्षमता से अधिक माल लेकर वाहन का संचालन नहीं करेंगे, धारा - 86(1) की कार्यवाही से मुक्त किया गया। क्रम संख्या - 09 पर उल्लिखित वाहन संख्या यूपी-25सीटी/6625 जनभार वाहन जिसका चालान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बरेली द्वारा दिनांक 16.05.2019 को क्षमता से अधिक 24 टन माल लेकर संचालित पाये जाने पर प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान किया गया है। उक्त वाहन के वाहन स्वामी श्री शाहरूख सलीम प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष धारा-86 के अन्तर्गत उनकी वाहन संख्या उपरोक्त के विचारण का विरोध करते हुए लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में सचिव द्वारा प्रेषित नोटिस को अवैधानिक

तथा गलत ठहराया गया है तथा यह दलील दी गई कि उनका मामला माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, जहां उसे दोषमुक्त किए जाने की प्रबल उम्मीद है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उनके मामले में निर्णय को माननीय न्यायालय के निर्णय तक मुल्तवी करते हुए धारा-86 की कार्यवाही को मुल्तवी रखा जाये।

प्राधिकरण द्वारा मौके पर उपस्थित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), बरेली श्री जे0पी0गुप्ता से जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने अवगत कराया कि अभी तक इस मामले का आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः वाहन स्वामी के अधिवक्ता का यह कथन सत्य नहीं पाया गया कि उनका मामला पूर्व से ही माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रस्तुत नोटिस का भी अवलोकन किया गया। नोटिस में वाहन के चालान अभियोगों का विवरण एवं प्राधिकरण की बैठक की सूचना अंकित है, अतः इसे गलत एवं विधि विरूद्ध ठहराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। वैसे भी केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम/नियमावली में नोटिस का कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। अतः विचारोपरान्त प्राधिकरण का यह मत है कि चालानी अधिकारी चालान को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु प्राधिकरण को धारा-86 के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए प्रेषित किए गये मामलों पर विचारण की शक्ति प्राप्त है। अतः उनके अपराध को दृष्टिगत रखते हुए वाहन संख्या यूपी-25सीटी/6625 के परमिट को तीन माह के लिए निलम्बित किया जाता है।

संकल्प संख्या - 06 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के अन्तर्गत स्थायी सबारी गाड़ी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-83 के अन्तर्गत वाहन के प्रतिस्थापन पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के अन्तर्गत मार्ग बिशारतगंज-सिरौली, बिशारतगंज-बरेली वाया चाढ़पुर मोड़ तथा मार्ग रामपुर-शाहबाद-ऑवला-बरेली पर स्वीकृत/जारी परमिटों के नवीनीकरण तथा मार्ग बदायूँ-ऑवला-भंमोरा-बरेली, बरेली से शाहबाद वाया भंमोरा-ऑवला-वजीरगंज-रामनगर-सिरौली के परमिट संख्या UP/25/101/PVTR/ 2016/20 वैधता 14.02.2021 पर दूसरी उच्च माडल की वाहन प्रतिस्थापन किये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया।

बरेली सम्भाग का मार्ग बरेली बदायूँ (48 कि0मी0), बरेली-बदायूँ-उसॉवा, बरेली-दातागंज वाया बल्लिया-देवचरा, बरेली-बिशारतगंज-सिरौली वाया चाढ़पुर, बरेली-ऑवला-शाहबाद, बदायूँ-बिल्सी-इस्लामनगर वाया उझानी तथा रामपुर-शाहबाद-ऑवला-बरेली मार्ग में बरेली से बदायूँ 48 किमी0, बरेली से देवचरा 18 कि0मी0, बरेली से चाढ़पुर मोड़ 14 कि0मी0 तथा बरेली से भंमोरा 24 कि0मी0 का भाग राष्ट्रीयकरण की योजना संख्या 4539/XXX2015T/52 दिनांक 03.09.1953 से आच्छादित है। उपरोक्त मार्गों पर निजी बस स्वामियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्रधारकों की ओर से श्री मनोज सक्सेना, विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.10.2004 में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीकरण की योजना से प्रभावित मार्गों के सभी परमिटों के मार्गों में से राष्ट्रीयकृत मार्गांश को काटकर केवल अराष्ट्रीयकृत भाग तक सीमित रखा जाय। जिसके विरूद्ध बरेली-बदायूँ-उसॉवा मार्ग के परमिटधारकों की ओर से याचिका संख्या 52707/04 श्री अखिलेश गुप्ता व दो अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम बरेली व दो अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगनादेश दिनांक 13.12.2004 जारी किया गया। इसी प्रकार बरेली-दातागंज वाया बल्लिया-देवचरा मार्ग के परमिट धारकों की ओर से दायर याचिका संख्या 54880/2004,

बिशारतगंज-सिरौली-बरेली वाया चाढ़पुर मोड़ मार्ग परमिटधारकों की ओर से दायर याचिका संख्या 55222/2004 तथा बरेली-ऑवला-शाहबाद- बदायूँ मार्ग के परमिटधारकों की ओर से याचिका संख्या 55221/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग आदेशों में मुख्य याचिका संख्या 52707/2004 से जोड़ते हुए स्थगनादेश क्रमशः 23.12.2004, 22.12.2004 तथा 22.12.2004 पारित किये गये। उपरोक्त स्थगनादेशों के अनुपालन में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली द्वारा सम्यूक विचारोपरान्त दिनांक 10.01.2005 की बैठक में परमिटधारकों के परमिटों का नवीनीकरण पूर्व की भॉति माननीय उच्च न्यायालय के अन्तर्गत निर्णय/आदेश होने तक किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2006 के द्वारा मुख्य याचिका संख्या 52707/2004 खारिज हो गई। याचिका संख्या 222671/2014 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2006 को जारी आदेशों को रिकाल कर याचिका को मूल संख्या पर बहाल करने के आदेश पारित किये गये। परन्तु उपरोक्त आदेश में दिनांक 13.12.2004 को जारी स्थगनादेश को रिस्टोर (बहाल) नहीं किया गया था। श्री मनोज सक्सेना, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष याचिका संख्या 16332/2019 श्री भगवान सिंह व 17 अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व 2 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.10.2019 की प्रति प्रस्तुत करते हुए याचिका के निम्नानुसार आदेश के अनुपालन कर परमिटों के नवीनीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया।

In view of the aforesaid facts and circumstances, with the consent of the parties, we dispose of the writ petition with the direction to respondent No. 3 (Regional Transport Authority, Bareilly) to consider all applications of the petitioners with regard to grant/renewal of their permit for the aforesaid route i.e. bareilly-Budaun and other ancillary applications thereto in accordance with law most expeditiously independent of the resolution dated 11.02.2016, if possible, a period of six weeks from the date a copy of this order is produced before him.

सन्दर्भित मार्गों पर परमिटों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0सड़क परिवहन निगम, बरेली के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एस0के0बैनर्जी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिनांक 17.10.1985 आदर्श ट्रैवल्स बस सर्विस एवं अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य 1986 ए0आई0आर0 319, 1985 एस0सी0आर (3) 661 में पारित आदेश को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

"We are therefore unable to see any merit in any of the Civil Appeals since none of the schemes placed before us contain any saving clause in favour of operators plying or wanting to ply stage carriages on common sectors. On the other hand we found that invariably there is a clause to the following effect: "No person other than the State Government Undertaking will be permitted to provide road transport services on the routes specified in paragraph 2 or any part thereof". In the face of a provision of this nature in the scheme totally prohibiting private operators from plying stage carriages on a whole or part A of the notified routes, it is futile to contend that any of the appellants can claim to ply their vehicles on the notified routes or part of the notified routes. All the appeals and Special Leave Petitions are therefore dismissed, with costs which we quantify at Rs.2,500 in each. All the interim orders of this court which enabled the appellants to operate their vehicles on notified routes or part of notified routes or which enabled the appellants to apply for and obtain permits to 80 operate, with or without the so- called corridor restrictions are hereby vacated."

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली द्वारा बदायूँ-बरेली मार्ग की राष्ट्रीयकरण की योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि यह योजना वर्तमान में भी लागू है जो कि शासन की अधिसूचना संख्या 1195/30-2-2013-01(2)/2007 दिनांक 18.11.2013 के पृष्ठ संख्या - 6 पर क्रमांक - 88 पर उल्लिखित है। बरेली से बदायूँ या इस मार्ग के किसी भी मार्गांश पर राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण निजी संचालकों को इस मार्ग पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.01.2002 कर्नाटक स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट बनाम अशरफुल्ला खान एवं अन्य (सिविल अपील 1341/1990) में निम्नानुसार आदेश पारित किये गये :-

"In our opinion there is a clear and obvious distinction between an 'overlapping' and an intersection for purposes of Chapter IVA of the repealed Act. In the case of an overlapping a stage carriage is to ply on the same line of travel on a portion of a notified route and it is immaterial whether it is a small distance of four or five kilometers falling within the limits of a village or town. Whereas in the case of an intersection a non- notified route only cuts across a notified route for onward journey. It is only to enable a private operator plying on a non-notified route to a non-notified route to cut across a notified route. The exceptions sought to be made by Full Bench in the form of municipal limit or village limit is totally erroneous and that the same defeats the very object behind the scheme which is for total exclusion of private operation. The consistent view of this Court has through out been that the scheme is a law and the same has to be preserved and protected in public interest. Any other view taken contrary to the said view would amount to violating the integrity of an approved scheme under Section 68D of the Repealed Act. Any slight deviation in the scheme may frustrate the entire scheme.For the aforesaid reasons, the judgments and order including State Transport Appellate Tribunal under appeal are set aside. The matters are sent back to the Learned Single Judge of the High Court to decide the matters within three months of production of certified copy of this judgment in the light of what has been stated above. The appeals are allowed. There shall be no order as to costs. "

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, बरेली द्वारा बरेली-बदायूँ राष्ट्रीयकृत मार्ग या इस मार्ग के किसी भी अंश पर निजी संचालकों को परमिट स्वीकृत/जारी/नवीनीकरण न किये जाने का अनुरोध किया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि यह माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना होगी।

प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16332/2019 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2019 का परिशीलन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश दिए गये हैं कि याचिका कर्ताओं के परमिटों की स्वीकृति/नवीनीकरण के प्रार्थना पत्रों पर पूर्व में दिनांक 11.02.2016 को प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय से स्वतंत्र रूप से विधि अनुसार विचार किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय के उपुर्यक्त निर्देशों का समादर करते हुए समस्त याचिका कर्ताओं के प्रार्थना पत्रों पर विधि पूर्वक विचार किया गया तथा याचिका कर्ताओं के अधिवक्ता श्री मनोज सक्सेना द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री एस0के0बनर्जी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर सुनवाई एवं विचार किया गया। सम्यूक विचारोपरान्त प्राधिकरण का मत है कि 1953 में प्रकाशित स्कीम एवं वर्ष 2013 में उसके पुनर्प्रकाशन से यह स्थापित हो गया है कि विचारण के लिए प्रस्तुत मार्गों के मार्गांश अधिसूचित हैं तथा उपर्युक्त स्कीम का अभिन्न भाग हैं। इस सम्बन्ध में आदर्श ट्रैवेल्स बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य तथा कर्नाटक स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट बनाम अशरफ उल्ला खान व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अवधारित किया गया है कि अधिसूचित मार्ग अथवा मार्गांश पर राज्य सड़क परिवहन निगम के अतिरिक्त अन्य किसी को बसों के संचालन का अधिकार नहीं होगा।

10

प्रश्नगत समस्त मार्गों में अधिसूचित भाग मार्गों का अनन्य भाग है, ऐसी स्थिति में निजी वाहन स्वामियों को विधिक रूप से प्रश्नगत मार्गों पर वाहन संचालन का अधिकार नहीं है। अतः उपर्युक्त विधिक व्यवस्था का समादर करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में समस्त प्रार्थना पत्रों पर विधि पूर्वक विचार करते हुए प्रश्नगत मार्गों पर याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण के आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जाता है।

संकल्प संख्या - 07 **सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बरेली में प्राप्त निम्नलिखित पत्र पर विचार ।**

क्रमांक	प्राप्त पत्र संख्या	निर्णय
1	2	3
1.	पुलिस अधीक्षक, यातायात जनपद बरेली का पत्र संख्या एसपीटी-09/2019 दिनांक नवम्बर 04, 2019	अवलोकित।

संकल्प संख्या - 8

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विन्दु विचारणीय नहीं है।

(वी0के0सोनकिया)
उप परिवहन आयुक्त
(परिक्षेत्र), बरेली।
सदस्य।

(नितीश कुमार)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी, बरेली।
सदस्य।

(रणवीर प्रसाद)
आई0ए0एस0
आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली
अध्यक्ष।